मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 13 /स.उ.शि./2008, भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2008
प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–स्थानांतरण के बाद भारमुक्त न करने एवं एल.पी.सी. समय पर जारी न करने के संबंध में।

–0–

कतिपय प्रकरणों में यह शिकायतें शासन के ध्यान में लाई गई है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद कई महिनों तक उन्हें भारमुक्त नहीं किया जाता है अथवा भारमुक्त करने के पश्चात् कई महिनों तक एल.पी. सी. प्रेषित नहीं की जाती है।

2. यह शिकायतें, नियंत्रणकर्ता अधिकारियों के व्दारा शासन के स्थायी निर्देशों के उल्लंघन के सप्रमाण उदाहरण है। सामान्य प्रशासन विभाग के व्दारा स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों को भारमुक्त करने के स्थायी निर्देश दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को छोडकर अन्य समस्त क्षेत्रों में एवजीदार की प्रतीक्षा न करते हुए स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते ही तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश है।

3. इसी प्रकार स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों को भारमुक्त करके उन्हें अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भारमुक्त के दिन ही संबंधित कार्यालय को जारी कर देना चाहिए, ताकि स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन आहरण में कोई विलम्ब न हो।

4. अभी हाल ही में ग्वालियर संभाग के एक प्राध्यापक का अगस्त माह में स्थानांतरण आदेश जारी करने के पश्चात् उन्हें नियंत्रणकर्ता अधिकारी व्दारा सितम्बर माह में भारमुक्त किया गया और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अभी तक

जारी नहीं करने के कारण स्थानांतरण के पदस्थापना स्थल पर उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हो सका है।

भोपाल संभाग में भी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त न होने के कारण कतिपय अधिकारियों को वेतन प्राप्त नहीं होने की शिकायते जानकारी में आई है। इन प्रकरणों में पृथक से जांच प्रारंभ की जा रही है।

5. अतः समस्त प्राचार्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि शासन से स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के व्दारा निर्धारित समय-सीमा में भारमुक्त कर दिया जाय तथा उनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भी भारमुक्त करने के दिनांक को ही उनके स्थानांतरित कार्यालय को भेजे।

6. भारमुक्त प्रमाण पत्र एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृपया इन निर्देशों का कठोरता से पालन करना सुनिश्चित करें।

(आशीष उपाध्याय)
सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्र0 /स.उ.शि./2008, भोपाल, दिनांक जनवरी, 2008
प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग